(192)

संख्या– 925 /XV-2/01(16)/2006

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डेरी विकास विभाग,
मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।

पशुपालन अनुभाग– 02 देहरादून, दिनांक 11 जुलाई, 2011:

विषय :– वित्तीय वर्ष 2011–12 में डेरी विकास विभाग को डेरी विकास योजना (टी0एस0पी0) में आयोजनागत पक्ष की राज्य योजना में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–791/XV-2/01(16)/2006, दिनांक 21–06–2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में द्वितीय त्रैमास के व्यय हेतु डेरी विकास योजना अनुसूचित जन जाति के कल्याणार्थ डेरी विकास विभाग को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न मदो में कुल धनराशि ₹ 1.25 लाख (₹ एक लाख पच्चीस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरण कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

धनराशि (लाख ₹ में)

क0सं0	मद का नाम	धनराशि
1.	यातायात अनुदान	1.00
2.	प्रबंधकीय अनुदान	0.25
	कुल योग :–	1.25

1. अवमुक्त की जा रही धनराशी की फॉट निदेशक, डेरी द्वारा करने के उपरांत सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों, दुग्ध संघों एवं शासन को अवगत कराया जायेगा ।
2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय, साथ ही इस धनराशि का एक मुश्त आहरण न किया जाय।
3. सभी कार्यो का जनपदवार वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी आपके द्वारा तत्काल कर दिया जाय तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय।
4. उक्त धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान मितव्ययता संबंधी आदेशों व वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत ही किया जाय।
5. स्वीकृति धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम 75 प्रतिशत से अधिक पूर्ण कार्यों के लिये किया जाये।
6. अवमुक्त की जा रही धनराशि अनुसूचित जनजाति के सदस्य संख्या के प्रतिशत के अन्तर्गत किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्ही मदों पर किया जाय जिसके लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद से किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

8.. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

2/–

8.. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

9. कोषागार में बीजक प्रस्तुत करते समय अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक का सही रूप से अंकन करना सुनिश्चित करेंगे।

10. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2012 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं लाभांकियों की सूची शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

12. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीध्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–आयोगनागत–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–01– डेरी विकास –00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31–3–2011 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के कम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव।

<u>संख्या : 925 /XV-2/01(16)2006 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।